



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2019/माघ 26, 1940

No. 105]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019/MAGHA 26, 1940

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 121(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित, उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से जो आपत्तियां या सुझाव प्राप्त होंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, श्री एस.के. सिंह, अवर सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जाएं।

मसौदा नियम

1. (i) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय), द्वितीय संशोधन नियमावली, 2019 कहा जाए।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 51 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:—
- (क) नियम 51(क) में “मजदूरी का चार तथा तीन चौथाई के समान” शब्दों को “मजदूरी का चार प्रतिशत” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) नियम 51(ख) में, “मजदूरी का एक तथा तीन चौथाई प्रतिशत के समान” शब्दों को “मजदूरी का एक प्रतिशत के समान” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एस-38012/01/2016-एसएस-1]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियमावली को भारत का राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 22 जून, 1950 की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 212 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2019

G.S.R. 121(E).—The following draft of certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 which the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said Section, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after thirty days from the date of publication in the Official Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government.

The objections and suggestions may be addressed to Shri S. K Singh, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

1. (i) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) (Amendment) Rules, 2019.
(ii) They shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.
2. In Rule 51 of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, the following amendment shall be made :—
 - (a) In Rule 51(a) for the words “equal to four and three fourth percent of the wages”, the words “equal to four percent of the wages” shall be substituted.
 - (b) In Rule 51(b), for the words “equal to one and three fourth percent of the wages”, the words “equal to one percent of the wages” shall be substituted.

[F. No. S-38012/01/2016-SS-1]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number S.R.O. 212 dated the 22nd June, 1950.